न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

पीठासीन अधिकारी–श्री बाबूलाल जाट आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या–15/24 (राजस्व प्रार्थना पत्र)

दायर दिनाकः–15.03.2024
निर्णय दिनाकः–12.05.2025

अनवान

1– श्री दिपसिंह उर्फ दौलतसिंह पुत्र स्व.विजयसिंह जाति राजपुत निवासी उदयपुरा खालसा तहसील सागवाडा जिला डूँगरपुर

(प्रार्थी)

बनाम

1– भुमिधारी तहसीलदार सागवाडा जिला डूँगरपुर राज.

(अप्रार्थी)

वकील प्रार्थी –श्री विपीन शर्मा
अप्रार्थी 1– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र बाबत इन्द्राज दुरस्त करने अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी की पैतृक संयुक्त खातेदारी की कृषि भुमि मौजा उदयपुरा खालसा प0म0गोवाडी मे खाता संख्या 64/55 कुल खसरा 21 कुल रकबा 1.7465 हेक्टर है। उक्त कृषि भूमि पर प्रार्थी अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी का नाम कॉलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकार्ड में खतोनी में दौलतसिंह पिता स्व0विजयसिंह है जबकि प्रार्थी का सही नाम राशनकार्ड, आधार कार्ड, शेक्षणिक दस्तावेत आदि अन्य रिकार्ड में दीप सिह पिता स्व0विजयसिंह है। राजस्व अधिकारियों की त्रूटी से दौरान नामान्तकरण प्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दीपसिंह पिता विजयसिंह से दौलतसिंह पिता विजयसिंह अंकित कर दिया गया जो गलत होकर राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरस्ती कर प्रार्थी का सही नाम दीपसिंह पिता विजयसिंह दर्ज किया जाना न्यायहित में किया आवश्यक है। वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी की सयुंक्त सम्पत्ति होकर उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 है।

जबकी प्रार्थी के समस्त आवश्यक पहचान व पते के दस्तावेजो मे प्रार्थी का नाम दीपसिंह पिता विजयसिंह अकिंत है। प्रार्थी कानुनी अज्ञानता के चलते राजस्व कार्मिको से सम्पर्क के अभाव व उनकी त्रूटीवश प्रार्थी का नाम उक्त खाते मे दौलतसिंह दर्ज हो गया जब प्रार्थी को इसकी जानकारी हुई तो उसके द्वारा अपने नाम मे सुधार राजस्व कार्मिको से सम्पर्क किया तो उन्होने न्यायालय मे वाद पेश कर ही सुधार होना संभव है ऐसा बताया

गया। वर्णित भूमि में संयुक्त खातेदारो द्वारा भी दौलतसिंह पिता विजयसिह से दीपसिंह पिता विजयसिह करने सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। सहखातेदारो का सहमति पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश है वादग्रस्त खाते मे प्रार्थी का वास्तविक नाम दीप सिंह होने से इन्द्राज दुरस्ती कर सुधारा जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मौजा गोवाडी मे खाता संख्या 64/55 कुल खसरा 21 कुल रकबा 1.7465 हेक्टर के राजस्व रेकार्ड मे इन्द्राज दुरस्ती कर प्रार्थी का नाम दीप सिह इन्द्राज दुरस्ती करने के आदेश दिए जा जमाबन्दी मे प्रार्थी का सही नाम दीप सिंह दर्ज किया जावे।

यह कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र नियमानुसार दर्ज किया जा अप्रार्थी को सम्मन जारी किए गये सम्मन तामिल होकर प्राप्त। अप्रार्थी 1 भुमिधारी के द्वारा अपना जवाब पेश किया गया। अप्रार्थी 1 का जवाब शामील पत्रावली किया गया। भूमिधारी रिपोर्ट अनुसार मौजा उदयपुरा खालसा प0म0गोवाडी मे खाता संख्या 64/55 कुल खसरा 21 कुल रकबा 1.7465 हेक्टर में दौलतसिंह पिता विजयसिंह राजपुत हिस्सा 1/12 सा0देह खातेदार दर्ज रेकार्ड है। राजस्व रेकार्ड उदयपुरा खालसा के नामान्तकरण संख्या 176 दिनांक 17.05.2017 अनुसार विजयसिंह पिता परबतसिंह राजपुत के दिनांक 13.06.2013 को मृत्यु होने से वारिसाद दौलतसिंह,राजेन्द्रसिह पिता विजयसिंह, हेमन्तकुवर बेवा विजयसिंह 1/4 सा0देह खातेदार दर्ज रिकार्ड हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड,राशन कार्ड, पेनकार्ड में प्रार्थी का नाम दौलतसिंह नही होकर दीपसिंह अंकित है। प्रार्थी को घर पर दौलतसिंह नाम से पुकारा जाने से राजस्व रेकार्ड में दौलतसिंह अंकित हो गया जबकि दस्तावेज में दीपसिंह अंकित है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया। राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट की धारा 136 में स्पष्ट उल्लेख है कि राजस्व रेकार्ड की जमाबन्दी में पुर्व की प्रविष्ठीयों में शुद्विकरण न्यायालय द्वारा किया जाकर प्रविष्ठी सुधारी जा सकती है। अतः हस्तगत प्रकरण में नाम की त्रुटी विरासती नामान्तकरण प्रार्थी स्वंय के द्वारा खुलवाये जाने से प्रार्थी का विरासती नामान्तकरण उक्त खाते मे खोला गया है। जिस कारण उक्त जमाबन्दी में की गई प्रविष्ठीयों में पुर्व की कोई त्रुटी नही है। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी स्वंय के द्वारा कराई गई प्रविष्ठियों में सुधार कराने का अधिकारी नही है।

अतः प्रकरण राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चलने योग्य नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर होवे।

(बाबूलाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा